

FORM - 15
[see rule 70N(4)(c)]

LARGE COVER "B"

To be used at Election to Mayor from Municipal Corporation..... Or election to member from Ward Number..... of Municipal Corporation.....

COVER "B"

SERVICE UNPAID

Every Officer under whose care or through whom a postal ballot paper is sent shall ensure its delivery to the address without delay. [Rule 51A(4)]

ELECTION – IMMEDIATE

Postal Ballot Paper

For election to Mayor from Municipal Corporation..... Or election to member from Ward Number..... of Municipal Corporation.....

(NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING)

To

The Returning Officer

** _____

Signature of the Sender _____

* Returning Officer to insert here the appropriate particulars of the Ward.

** Returning Officer to mention here the full address.

प्ररूप – 15
[देखिए नियम 70ढ 4(ग)]

बड़ा लिफाफा "ख"

नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम
की वार्ड संख्या से सदस्य के चुनाव में प्रयोग किया जाये।

लिफाफा "ख"

सरकारी बिना टिकट

प्रत्येक अधिकारी जिसकी देखरेख में या जिसके द्वारा डाक मतपत्र भेजा जाता है वह अविलम्ब पते
पर इसका वितरण सुनिश्चित करेगा। {नियम 51क (4)}

निर्वाचन-अविलम्ब

डाक मतपत्र

नगर निगम के महापौर का चुनाव अथवा नगर निगम
की वार्ड संख्या से सदस्यके चुनाव के लिये।

(गणना से पूर्व नहीं खोला जाना है)

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी

**

.....

.....

भेजने वाले के हस्ताक्षर.....

.....

.....

* रिटर्निंग अधिकारी यहां पर वार्ड के समुचित ब्योरे लिखें।

** रिटर्निंग अधिकारी यहां पर पूरा पता वर्णित करें।